स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, आरईसी लिमिटेड के सदस्य

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा के संबंध में रिपोर्ट

राय

हमने आरईसी लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन तुलन पत्र तथा लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित) क विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (इसके पश्चात "स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी" के रूप में संदर्भित) सहित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर नोट शामिल हैं।

हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा जिस प्रकार से अपेक्षित हो, इस प्रकार से सूचना देते हैं और कंपनी की दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में स्टैंडअलोन परिवर्तन और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके स्टैंडअलोन नकद प्रवाह तथा इसके सार की स्टैंडअलोन स्थिति का भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

विचार बिन्दु का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्वों में उल्लेख किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार इस समूह से स्वतंत्र हैं और हमने इस अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य को हमने प्राप्त किया है तथा हमारे विचार के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले का महत्व

1. हम स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट सं. 47.1.3 के संबंध में, इसकी ऋण परिसंपत्तियों तथा आश्वासन पत्रों के संबंध में क्षति भत्ते के प्रावधान की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इस संबंध में, हमने ऊपर बताए हानि भत्ता के अनुसार निर्धारण के आधार पर भरोसा किया है, जहाँ तक इसका प्रबंधन ओवरले के रूप में हानि भत्ता का पता लगाने का सवाल है यह स्वतंत्र एजेंसी और प्रबंधन के निर्णय द्वारा विचार किए गए तकनीकी पहलुओं/मापदंडों से संबंधित है।

2. हम कंपनी पर महामारी कोविड–19 के प्रभाव के संबंध में स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट सं.49 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रबंधन का यह मत है कि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि महामारी से एक चालू कंपनी के रूप में कंपनी की क्षमता पर कोइ महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। तथापि, भविष्य में महामारी में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रभाव अनिश्चित है और यह भावी वर्षों में क्षति भत्ते को प्रभावित कर सकती है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय परिवर्तित नहीं है।

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले ("केएएम") वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में, वर्तमान अवधि की स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे। इन मामलों का समाधान सम्पूर्ण रूप में स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उसके संबंध में अपनी राय बनाने में किया गया था और हम इन मामलों पर अलग से कोई विचार नहीं रखते हैं। हमने नीचे उल्लिखित निम्नलिखित मामलों का निर्धारण अपनी रिपोर्ट में संसूचित किए जाने के लिए लेखापरीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामलों के रूप में किया है:

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	**ऋण परिसंपत्तियों का क्षति भत्ता –** (लेखांकन नीति सं. 3.10 के साथ पठित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट सं. 47.1.3 के संदर्भ में) कंपनी एक निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली का पालन करती है, जिसमें भत्ते का मूल्यांकन, क्षति के साक्ष्य के स्तर एवं क्रेडिट जोखिम के आधार पर विभिन्न चरणों में परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करने वाले कुछ मानदंड/रूपरेखा पर आधारित क्षति के लिए एक बाह्य एजेंसी द्वारा किया जाता है। क्षति भत्ते को डिफॉल्ट संभावना के उत्पाद, डिफॉल्ट में प्रकटन तथा क्षति भत्ते के मूल्यांकन हेतु मुख्य मापदंड के नाते में दी गई डिफॉल्ट हानि के रूप में मापा जाता है। क्षति भत्ते के मूल्यांकन हेतु अंतर्निहित मुख्य संकेतकों को प्रबंधन द्वारा नियमित आधार पर मूल्यनिरूपित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन ने अंगीकृत उपरोक्त मॉडल के अलावा एक कार्यप्रणाली को अपनाया है, जिससे प्रत्येक मामले के अनुसार और छानबीन की जाती है तथा क्षति प्रभाव में परिवर्तन करने की आवश्यकता होने पर, उसे वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है। एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी होने के नाते कंपनी वित्तपोषण के कारोबार में शामिल है और यदि उपरोक्त वर्णित किसी भी महत्वपूर्ण पैरामीटर/मानदंड/मान्यताओं को अनुचित तरीके से लागू किया जाता है, तो इसका परिणाम व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से ऋण परिसंपत्तियों के वहन मूल्य पर वास्तविक तौर पर प्रभावित कर सकता है। स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में ऋण परिसंपत्तियों की राशि अर्थात् कुल परिसंपत्ति का 91.26% के महत्व को देखते हुए, हमारी लेखापरीक्षा में ऋण परिसंपत्तियों की क्षति को मुख्य लेखापरीक्षा विषय समझा गया है।	इस संबंध में, हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया है: भारतीय लेखांकन मानक 109 "वित्तीय लिखत" के उपबंधों के अनुसार, हमने अन्य पक्ष की रिपोर्ट प्राप्त की है और क्षति भत्ते के संबंध में कंपनी के आंतरिक दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं सहित विभिन्न नियामक अपडेट के साथ मानदंड/रूपरेखा को सत्यापित किया है। ऋण क्षति के मूल्यांकन और रिकवरी/निष्पादन पहलुओं के लिए उनकी मॉनीटरिंग के संबंध में ऋण परिसंपत्तियों का सत्यापन। मानक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू करते हुए रिकवरियों को सत्यापित किया जाता है। ऋण शेष राशियों की पुष्टि की जाती है और उधारकर्ता की गुणवत्ता का मूल्यांकन एवं परीक्षण मुख्य नियंत्रण मापदंडों के साथ किया जाता है। ऋण परिसंपत्तियों के निष्पादन का मूल्यांकन उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है, इन दस्तावेजों में ऋण पत्र, वित्तीय डेटा, मूल्यांकन रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट, सावधिक वित्तीय जानकारी, पब्लिक डोमेन पर जानकारी, प्रबंधन द्वारा लागू प्रक्रिया अर्थात् ऋणों का निरीक्षण, भौतिक सत्यापन, उधारकर्ता के पिछले रिकॉर्ड का आकलन करना आदि शामिल है। ऋण परिसंपत्तियों में होने वाली रिकवरियों को सत्यापित किया जाता है, ताकि उसके दबाव स्तर और वित्तीय विवरण पर क्षति भत्ते के रूप में प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सके। हमने प्रबंधन के साथ, जहाँ भी अंतर्निहित कमजोरी देखी गई है, चर्चा की है और ऐसे मामलों में प्रबंधन मूल्यांकन को गहन रूप से किया जाता है। हम, अन्य पक्ष द्वारा किए गए क्षति भत्ते के अध्ययन में घटक और गणना पर भरोसा करते हैं और उसके लिए परीक्षण जांच की जाती हैं। इस तरह के घटक उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग, डिफॉल्ट/ऋण की चूक की संभावना की गणना आदि हैं। इसमें हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया, ऐसे अन्य पक्ष द्वारा गोपनीय माने जा रहे अध्ययन के कुछ मापदंडों को साझा नहीं करने को ध्यान में रखते हुए सीमित है। इसके अलावा, प्रबंधन, बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक कार्यप्रणाली का पालन करते हुए अन्य पक्ष की रिपोर्ट में क्षति भत्ते की समीक्षा करता है और प्रत्येक मामले के आधार पर क्षति को संशोधित करता है। हमने इस तरह के संशोधन के लिए प्रबंधन से एक विस्तृत विश्लेषण प्राप्त किया है। इस संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया, प्रबंधन के मूल्यांकन पर मजबूर है और हम उस पर भरोसा करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13 मार्च 2020 की अधिसूचना संख्या डीओआर (एनबीएफसी) सीसी.पीडी सं.109/22.10.106/2019–20 के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक की आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों (आईआरएसीपी) के संदर्भ में क्षति आरक्षित के रूप में रखी गई राशि का सत्यापन।

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
2.	**व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन** (लेखांकन नीति सं. 3.9 के साथ पठित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के नोट सं. 9 के संदर्भ में) विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम के प्रति कंपनी के प्रकटन को कम करने के लिए, गैर–भारतीय रुपए नकदी प्रवाह को मॉनीटर किया जाता है और कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार व्युत्पन्न अनुबंध किए जाते हैं। व्युत्पन्नों को भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार उचित मूल्य पर मापा जाता है। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 109 'वित्तीय लिखत' के अनुसार बचाव लेखांकन आवश्यकताओं को लागू कर दिया है, जिनमें कुछ व्युत्पन्न अनुबंधों को 'नकदी प्रवाह बचाव' संबंधों में हेजिंग इंस्ट्रूमेंटों के रूप में नामोद्दिष्ट किया है। इन व्यवस्थाओं को, विदेशी मुद्रा में नामित कुछ ऋण लिखतों से उत्पन्न ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम को कम करने के लिए दर्ज किया गया है। हेज अकाउंटिंग ने अपने लेखांकन/मान्यताओं की जटिलता और हेज संबंध स्थापित करने के लिए अनेक मापदंडों के साथ वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इन व्युत्पन्नों पर बाजार लाभ/हानि के चिह्न को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई है। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमने इसकी मुख्य लेखापरीक्षा विषय के रूप में पहचान की है।	**इस संबंध में, हमने निम्नलिखित प्रक्रिया को लागू किया है।** जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी के प्रबंधन की अवधारणा और अध्ययन नीति पर चर्चा करना और उसे समझना। व्युत्पन्न लेन–देनों का उद्देश्य अध्ययन है और देखा गया है कि यह अंतर्निहित जोखिम व्युत्पन्नों की मात्रा से अधिक नहीं है। भारतीय लेखांकन मानक 109 के संदर्भ में व्युत्पन्न के उचित मूल्य का सत्यापन व्युत्पन्न लेन–देनों की सटीकता एवं पूर्णता का परीक्षण। वर्गीकरण, मूल्यांकन और व्युत्पन्न लिखतों के मूल्यांकन प्रतिरूपों पर प्रबंधन के मुख्य आंतरिक नियंत्रण। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी से निपटान के लिए शेष/लंबित विभिन्न वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंधों को ब्योरा प्राप्त करना। ऐसे वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए प्राप्त उचित मूल्य के प्राक्कलन में अंतर्निहित मान्यताओं का सत्यापन। प्रयुक्त मूल्यांकन कार्यप्रणालियों की उपयुक्तता की मूल्यांकन रिपोर्टों पर भरोसा करना तथा व्युत्पन्न लिखतों के लिए नमूना आधार पर उनकी जांच करना। हमने उन बैंकों से पुष्टि भी प्राप्त की हैं जिनके पास ऐसे वित्तीय विवरणों को दर्ज किया गया है तथा अनुबंधित बैंकों द्वारा प्राप्त मूल्यांकन की स्वतंत्र रूप से तुलना की है। इसके अतिरिक्त, हमने अन्य व्यापक आय में बाजार आधारित लाभ/हानि चिह्न के लेखांकन को सत्यापित किया है। यह मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरण प्रकटन विद्यमान लेखांकन मानकों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के संदर्भ में व्युत्पन्न मूल्यांकन जोखिमों हेतु समुचित रूप से कंपनी का प्रकटन करते हैं।

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
3.	**कोविड–19 महामारी के संदर्भ में क्रियान्वित संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं** (स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट सं. 49 के संदर्भ में) कोविड–19 के लिए जिम्मेदार सार्स–कोव–2 वायरस भारत सहित विश्व में तेजी से फैल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों की आर्थिक गतिविधि और अस्थिरता में गिरावट आई है। वित्तीय वर्ष और हमारी लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान देश भर में कोविड–19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा लॉकडाउन और यात्रा पर प्रतिबंध लगाए गए थे। चूंकि अभूतपूर्व परिस्थिति के कारण व्यक्तिगत/वास्तविक रूप से लेखापरीक्षा साक्ष्यों की पहुंच बाधित हो गई थी, इसलिए लेखापरीक्षा को संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के साथ आयोजित किया जाना था। हमने ऐसी संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की मुख्य लेखापरीक्षा विषय के रूप में पहचान की है।	**इस संबंध में, हमने निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया है।** लॉकडाउन और महामारी के गंभीर फैलाव के परिदृश्य में, जहाँ तक भौतिक पहुंच प्रतिबंधित थी कंपनी ने दूर रहकर लेखापरीक्षा पूरा करने की सुविधा प्रदान की। जहां भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, वहां कंपनी द्वारा डिजिटल माध्यम/ईमेल और अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयरों के जरिए आवश्यक अभिलेख/रिपोर्ट/दस्तावेज/प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए गए। इस सीमा तक, लेखापरीक्षा प्रक्रिया हमें उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों और अभिलेखों के आधार पर की गई, जिन पर लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य के रूप में और लेखापरीक्षा अधीन वर्ष के लिए रिपोर्टिंग करने के संबंध में हमारे द्वारा भरोसा किया गया था। हमने निम्नानुसार लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को संशोधित किया हैः क. हमें ईमेल के जरिए उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों और संबंधित अभिलेखों की स्कैन प्रतियों का सत्यापन किया। ख. वीडियो कांफ्रेंसिंग, फोन कॉल/कांफ्रेंस कॉल, ईमेल और इसी प्रकार के अन्य संचार साधानों के माध्यम से संवाद एवं विचार–विमर्श के द्वारा पूछताछ करना तथा आवश्यक लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करना। ग. नामित अधिकारियों के साथ आमने–सामने का संपर्क करने के बजाय ईमेलों के जरिए/टेलिफोन द्वारा हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों का समाधान करना। घ. महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति, अन्य व्यावसायिकों अर्थात् क्षति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली अन्य पक्ष एजेंसी, स्वतंत्र मूल्यांककों, आंतरिक लेखापरीक्षकों आदि के कार्य/रिपोर्ट इत्यादि को प्रभावित कर सकती है और इसलिए हमने उस पर भरोसा किया। ङ. हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमने जिन जानकारी/स्पष्टीकरण पर भरोसा किया, वें सब हमें कंपनी द्वारा मौखिक अभिकथन के जरिए उपलब्ध कराई गई थी। च. यहां बताए गए विभिन्न साधनों के माध्यम से संपूर्ण संचार प्रक्रिया में, कंपनी के अभिलेख, जो गोपनीय हैं, भेजे गए हैं और यद्यपि, इस तरह के डेटा को एन्क्रिप्ट करके हमें बहुत सावधानी से बताया गया है, तथापि इस तरह के डेटा को अलग–अलग तरीकों से नुकसान की संभावना है। हमने कंपनी को इस संबंध में सूचित कर दिया है

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की से भिन्न सूचना

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक की रिपोर्ट, निगमित सुशासन की रिपोर्ट, कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट और प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण आदि शामिल है, किंतु इसमें स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और उन पर हमारी रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। हमें ऐसी अन्य जानकारी, इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि के उपरांत प्राप्त होना प्रत्याशित है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के संबंध में हमारे विचार में अन्य सूचना शामिल नहीं होती है और हम उस पर आश्वासन संबंधी निष्कर्ष के किसी रूप को व्यक्त नहीं करते।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर में पहचान की गई अन्य सूचना, जब यह उपलब्ध हो जाए, को पढ़ना है और ऐसा करते हुए इस तथ्य पर भी विचार करना है कि क्या अन्य सूचना वास्तविक रूप से स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के अनुरूप है अथवा इस लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई जानकारी अथवा अन्य प्रकार से उसका वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया प्रतीत होता हो।

जब हम ऐसी अन्य जानकारी पढ़ते हैं तब यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें वस्तुगत रूप से गलत उल्लेख किया गया है तब यह अपेक्षित होता है कि हम इस मामले को शासन जिसे यह जिम्मेदारी दी गई है, को सूचित करें।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का प्रबंधन एवं निदेशक मण्डल इन स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो यथासंशोधित कंपनी ("भारतीय लेखांकन मानक") नियमावली 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुसरण में कंपनी वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह की एक पारदर्शी और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस दायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने, जालसाजी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करने और उनका प्रयोग करने; उन निर्णयों और अनुमानों जो उचित और विवेकपूर्ण हो, को तय करने; और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करने और इसका अनुरक्षण करने, जो वित्तीय दस्तावेजों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप में कार्य कर रहे हों, और जो स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी को तैयार करने और प्रस्तुत करने में संगत हों, जो एक सही और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, तथा जो वास्तविक गलत कथन से मुक्त हों, चाहे वह जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो, की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समुचित वित्तीय रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी को तैयार करने में, कंपनी की वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए, जहां भी लागू हो, उसका खुलासा करने के लिए, वर्तमान चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार का उपयोग करते हुए इस समूह की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रबंधन एवं निदेशक मण्डल जिम्मेदार हैं, यदि प्रबंधन का उद्देश्य इस समूह का परिसमापन नहीं करने का हो अथवा इसके प्रचालनों को बंद करने का हो अथवा ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

निदेशक मण्डल कंपनी की वित्तीय संसूचन की प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य इसके संबंध में समुचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या सम्पूर्ण रूप में स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी वस्तुपरक गलत सूचना से मुक्त हैं, चाहे वह जालसाजी अथवा किसी त्रुटि के कारण हुआ हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, जिसमें हमारा विचार शामिल है, को जारी करने के लिए स्वतंत्र है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा वस्तुपरक गलत सूचना का पता लगा लिया जाएगा जब यह होता हो। गलत कथन जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण होता है और इसे वास्तविक माना जाता है यदि इसे अलग–अलग रूप में अथवा कुल मिलाकर देखा जाए, उसके कारण उचित रूप से उन स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशयवाद बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी के वस्तुपरक गलत कथन के जोखिमों चाहे वह किसी जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो, की पहचान करते हैं और उसका आकलन करते हैं, उन जोखिमों पर प्रभाव डालने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन बनाते हैं और उसका कार्य निष्पादन करते हैं तथा लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य, जो हमारे विचार के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों, प्राप्त करते हैं। किसी जालसाजी के कारण उत्पन्न होने वाले वस्तुपरक गलत कथन का पता नहीं लगाने का खतरा उस खतरे की तुलना में अधिक होता है जो किसी त्रुटि के कारण होता हो क्योंकि जालसाजी में मिलीभगत, गलत दस्तावेज प्रस्तुत करना, जानबूझकर चूक करना, गलत बयानी करना अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकते हैं।
- लेखापरीक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हों, का डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इस अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत, हम इसके संबंध में अपने विचार को व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली सक्रिय है और इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता कार्य कर रही है।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता और उसके संबंध में कि किया गया खुलासा तथा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन की उपयुक्तता के बारे में निष्कर्ष निकालना, चाहे कोई वास्तविक अनिश्चितता उन घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में मौजूद हो, जो वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने के लिए इस समूह अथवा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की क्षमता पर बहुत अधिक संदेह उत्पन्न करता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है तब यह अपेक्षित है कि हम स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी में संबंधित खुलासों के बारे में अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करें और यदि इस प्रकार का खुलासा हमारे विचार में संशोधन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तब भी हम उनका ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा से संबंधित साक्ष्यों के आधार पर हैं। हालांकि, भावी घटनाएं अथवा स्थितियां इस समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के लिए वर्तमान चिंता के रूप में जारी रहने से रोकने के लिए स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं।
- खुलासों सहित स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की समग्र प्रस्तुती, ढांचा और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करना और यह कि स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी अंतर्निहित कारोबारों को दर्शाती हो और इसके साथ ही उस तरीके से घटनाओं को दर्शाती हो जिसे उचित रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

हम शासन का उत्तरदायित्व दिए गए सभी व्यक्तियों को, अन्य मामलों के साथ–साथ, योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा की अवधि और आंतरिक नियंत्रण संबंधी महत्वपूर्ण खामियों जिनकी हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं सहित, **महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा संबंधी निष्कर्षों की सूचना देते हैं, जैसा कि ऊपर दिए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामलों के पैरा 3 में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अधीन उल्लिखित है।**

हम उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को ऐसा कथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उन्हें सभी संबंधों और अन्य मामलों जिनके बारे में उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ने के बारे में सोचा जा सकता हो और जहां भी लागू हो, उससे संबंधित सुरक्षात्मक उपायों की भी सूचना देते हैं।

उन व्यक्तियों जिन्हें शासन का दायित्व दिया गया है, को सूचित किए गए मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि की स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्व रखते थे और इस कारण से पूरी लेखापरीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले होते हैं। हम इन मामलों का उल्लेख अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में करते हैं, यदि कानून अथवा विनियमन उस मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से खुलासा करने पर रोक लगाता हो अथवा जब अत्यधिक असाधारण परिस्थितियों में हम यह निर्धारण करते हैं कि इस मामले की सूचना अपनी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का प्रतिकूल परिणाम इस प्रकार की सूचना के सार्वजनिक हित से संबंधित लाभों पर उचित रूप से और अधिक भारी होने की आशा होगी।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा यथा अपेक्षित, और हमारे द्वारा उचित समझे गई कंपनी की बहियों एवं अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर तथा हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, हमने अनुबंध–क में, आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर, यथा संभव लागू, एक विवरण प्रस्तुत किया है।
2. कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमनें अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप–निर्देशों पर अनुबंध–ख के रूप में अपनी रिपोर्ट संलग्न की है।
3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम सूचित करते हैं कि:

   (क) हमने उन समस्त जानकारियों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं।

   (ख) हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों का रखरखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा की गई उन बहियों की जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

   (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) इक्विटी और नकद प्रवाह विवरण में परिवर्तन के विवरण, जिन पर इस रिपोर्ट में विचार किया गया है, वे लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखाकरण वित्तीय विवरण, संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।

   (च) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के तहत, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के उपबंधों की अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।

   (छ) कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में कृपया हमारी पृथक रिपोर्ट "अनुबंध–ग" में देखें।

   (ज) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना सं. जीएसआर463(ई) के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 197 के उपबंध सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं।

   (झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार:

   (i) कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी स्टैंडअलोन भारतीय लेखाकरण वित्तीय विवरणों में, अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव को प्रकट किया है – स्टैंडअलोन भारतीय लेखाकरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 42.1 के संदर्भ में;

   (ii) कंपनी के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक ठेके नहीं हैं जिसमें कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य क्षतियां हों;

   (iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में, हस्तांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित अंतरण राशियों में कोई विलंब नहीं किया गया है।

कृते एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 001135एन

नाम: एस. मूर्ति
पदनाम : साझीदार
सदस्य सं. 072290
यूडीआईएन: 21072290एएएडीडी8391

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कं. एलएलपी.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी.
000018एन/एन500091

नाम : अतुल अग्रवाल
पदनाम : साझीदार
सदस्य सं. 092656
यूडीआईएन: 21092656एएएएसीक्यू8265

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई 2021

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध–क

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के लेखाओं पर हमारी उसी दिनांक की रिपोर्ट के खंड 'अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 1 के संदर्भ में।

(i) (क) कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों के प्रमात्रात्मक ब्योरों तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण को दर्शाने के लिए संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का रखरखाव किया है।

(ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी में संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर को एक चरणबद्ध तरीके से सत्यापन करने संबंधी नीति है। ऐसे वास्तविक सत्यापन में पायी गयी विसंगतियों का लेखा बहियों में उपयुक्त रूप से हिसाब दिया गया है। हमारी राय में, वास्तविक सत्यापन की आवधिकता, कंपनी के आकार और इसकी परिसंपात्तियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त है।

(ग) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, निम्नलिखित को छोड़कर अचल संपत्तियों के विलेख कंपनी के नाम पर हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	मामलों की सं.	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक	अभ्युक्ति
बिल्डिंग	1	4.59	2.07	अभी हस्तांतरण विलेख सार्वजनिक उद्यमों की स्थायी समिति द्वारा निष्पादित किया जाना है।

(ii) बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते कंपनी की कोई फेहरिस्त (इनवेंटरी) नहीं है; इस प्रकार यह खंड लागू नहीं है।

(iii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी, फर्म या अन्य पक्ष को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश का खंड 3(iii)(क), (ख) और (ग) लागू नहीं है।

(iv) हमारी राय में, तथा अधिनियम की धारा 185 के उपबंधों के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने धारा 185 के अनुसार किसी भी प्रकार का ऋण या गारंटी प्रदान नहीं किया है।

इसके अलावा, हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी को एक गैर बैंकिग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के कारण, ऋणों एवं गारंटियों के संबंध में अधिनियम की धारा 186 के उपबंधों तथा अन्य लागू नियमों से छूट प्राप्त है तथा कंपनी ने निवेशों के संबंध में, अधिनियम की धारा 186 (1) उपबंधों का अनुपालन किया है।

(v) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने लोगों से ऐसी कोई जमा राशियों को स्वीकार नहीं किया है, जिन पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के उपबंध या अन्य संगत उपबंध और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम लागू होते हों।

(vi) हमारी जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार एक एनबीएफसी कंपनी होने के नाते, केंद्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के तहत लागत अभिलेखों का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(vii) (क) हमारे द्वारा की गई जाँच और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारी राय में कंपनी सामान्यतया, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय–कर, वस्तु एवं सेवा कर, उपकर तथा इस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशियों सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करा रही है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कोई अविवादित सांविधिक देय बकाया राशियां, उनके देय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है, जिस पर हमारी सूचना आधारित है, कुल मिलाकर ₹0.06 करोड़ कि देय आय कर राशि विवादित/विरोध स्वरूप जमा नहीं की गई है, और मामला उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष लंबित हैं: का ब्योरा निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

अधिनियम का नाम	देय राशियों का स्वरूप	जमा की गयी राशि	प्रदत्त/वापसी समायोजित राशि	अप्रदत्त निवल राशि	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	0.30	0.30	–	2008–09	दिल्ली उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	3.61	3.61	–	2012–13	आयकर आयुक्त (अपील) दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	0.23	0.23	–	2012–13	दिल्ली उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	6.44	6.44	–	2018–19	निर्धारण अधिकारी, सीपीसी
आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस	0.06	–	0.06	–	सीपीसी, टीडीएस
जोड़		**10.64**	**10.58**	**0.06**		

(viii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू कर रही है, कंपनी ने तुलनपत्र की तिथि के अनुसार किसी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों को देय राशियों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।

(ix) कंपनी ने प्रारम्भिक पब्लिक ऑफर या अगले पब्लिक ऑफर के लिए किसी प्रकार की कोई राशि नहीं जुटायी थी। वर्ष के दौरान ऋण लिखतों एवं आवधिक ऋण के जरिए कंपनी द्वारा एकत्र धनराशि उसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की गई जिसके लिए एकत्र किया गया था।

(x) भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षा परिपाटियों के अनुसार हमारे द्वारा की गई कंपनी की बहियों और रिकार्डों की जांच के दौरान तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी जानकारी में कंपनी द्वारा किसी वास्तविक धोखाधड़ी का अथवा उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के संबंध में की गई कोई धोखाधड़ी का कोई उदाहरण वर्ष के दौरान नहीं आया है और न ही सूचित किया गया है तथा न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना दी गई है।

(xi) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनियों को धारा 197 के उपबंधों से छूट प्रदान की है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(xii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(xiii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, यथा लागू संबंधित पक्षों के लेन–देन में अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन किया गया है तथा वित्तीय विवरणों आदि में आवश्यक प्रकटन किए गए हैं, जैसा कि लागू स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानकों में अपेक्षित है।

(xiv) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरो या परिवर्तनीय डिबेंचरों का पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

(xv) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेन–देन नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(xvi) हमें सूचित किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के 45–IA की धारा के अंतर्गत कंपनी गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत है। कंपनी का जारी पंजीकरण संख्या 14.000011 है।

कृते एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 001135एन

नामः एस. मूर्ति
पदनाम : साझीदार
सदस्य सं. 072290
यूडीआईएनः 21072290एएएडीडी8391

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी.
000018एन/एन500091

नाम : अतुल अग्रवाल
पदनाम : साझीदार
सदस्य सं. 092656
यूडीआईएनः 21092656एएएसीक्यू8265

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 मई 2021

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध–ख

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के लेखाओं पर हमारी उसी दिनांक की रिपोर्ट के खंड 'अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ के संदर्भ में।

क्रम सं.	निर्देश	कृत कार्रवाई	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
क.	**दिशानिर्देश**		
1.	क्या कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन–देनों की प्रक्रिया करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव सहित लेखाओं की सत्यनिष्ठा पर आईटी प्रणाली से बाहर लेखांकन लेन–देनों की प्रक्रियाओं के प्रभाव बताए जाएं।	कंपनी आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन देन ईआरपी आर 12 संस्करण द्वारा किया है। क्षेत्रीय और राज्य कार्यालयों सहित पूरा लेखांकन केंद्रीकृत ईआरपी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
2.	क्या ऋण का पुनर्भुगतान करने में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को उधारदाता द्वारा दिए गए मौजूदा ऋण/ब्याज की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामलों का कोई पुनर्निधारण है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से लेखाबद्ध किया जाता है? (अगर, ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो क्या यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	ऐसा कोई मामला नहीं था और कंपनी लगातार अपने ऋण तथा उधार के दायित्वों को पूरा करती आ रही है। इसके अलावा, कंपनी ने सही तरीके से उन मामलों को लेखाबद्ध किया है जहां कंपनी द्वारा दिए गए किसी ऋण का पुनर्गठन किया गया हो।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का समुचित रूप से हिसाब रखा गया था/निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उसका उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची	कंपनी ने उपयोग के लिए केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त नहीं की हैं। तथापि, कंपनी को विभिन्न एजेंसियों की निर्दिष्ट योजनाओं के अनुसार इसके संवितरण के लिए सरकार से निधि प्राप्त होती है।	स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।

कृते एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 001135एन

नामः एस. मूर्ति
पदनाम : साझीदार
सदस्य सं. 072290
यूडीआईएनः 21072290एएएडीडी8391

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 मई 2021

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी.
000018एन/एन500091

नाम : अतुल अग्रवाल
पदनाम : साझीदार
सदस्य सं. 092656
यूडीआईएनः 21092656एएएसीक्यू8265

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध–ग

अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने वर्ष समाप्ति की तिथि के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर की गयी हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में 31 मार्च, 2021 के अनुसार आरईसी लिमिटेड कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अंगभूतों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना करने एवं उनका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके कारोबार का सुव्यवस्थित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। इसमें, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ियों एवं त्रुटियों का पता लगाना एवं उनका निवारण करना, लेखांकन अभिलेखों परिशुद्धता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्ग–निर्देशन टिप्पणी ("मार्ग–निर्देशन टिप्पणी") तथा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित समझे गए लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लागू सीमा तक, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में दोनों के लिए लागू है तथा, दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है, क्रियान्वित की है। इन मानकों और मार्ग–दर्शन टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया गया था तथा यदि ऐसे नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग में प्रचालित किया गया, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वचनबद्धता प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद हो, तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

(क) वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, सामान्यतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाइन की गयी एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और क्रियाविधियां शामिल हैं जोकिः

(1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देनों और स्वभावों का उपयुक्त ब्योरा, परिशुद्धता एवं निष्पक्षता प्रदर्शित करती है;

(2) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं जो साधारणतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति हेतु अनिवार्य रूप से अभिलेखबद्ध हैं, तथा जिनकी प्राप्तियों और कंपनी के व्ययों को केवल कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(3) कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनसे वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के उपयोग या प्रकृति, अनधिकृत अधिग्रहण का सामयिक पता लगाने अथवा निवारण करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन या मिलीभगत की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, कपटवश या भूलवश महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हुए और उनका पता नहीं लगाया जा सका। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण ऐसे जोखिम के अधीन हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितयों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो जाता है, या नीतियों अथवा क्रियाविधियों के अनुपालन का स्तर बढ़ जाता है।

राय

हमारे राय में, कंपनी के सभी वास्तविक पहलुओं को छोड़कर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग में ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से प्रचालित हो रहे थे।

हमने सुधार के क्षेत्रों की पहचान की है, जिनको कंपनी के 31 मार्च, 2021 के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा जांच की प्रकृति, समय अवधि और परिसीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताये गये अनुसार और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, सुधार के ये क्षेत्र, कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

कृते एस. के. मित्तल एंड कं.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 001135एन

नामः एस. मूर्ति
पदनाम : साझीदार
सदस्य सं. 072290
यूडीआईएनः 21072290एएएडीडी8391

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कं. एलएलपी.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजी.
000018एन/एन500091

नाम : अतुल अग्रवाल
पदनाम : साझीदार
सदस्य सं. 092656
यूडीआईएनः 21092656एएएसीक्यू8265

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 मई 2021